कार्यालय नगरपालिक निगम, रतलाम. (म.प्र.)

Municipal Corporation Office, Ratlam M.P. (RMC) 01, College Road, Ratlam (457001), Tel. 07412- 0555
Fax : 07412-270556 E-mail: commratlam@mpurban.gov.in Website: www.rmcratlam.in

क्रमांक/643/एम.आर.सी./2026 रतलाम, दिनांक : 27.10.2026

—11 **विज्ञापन** 11—

कार्यालय का नाम– नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)
विशेष दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 8–2/2013/सा.प्र./एक/(भर्ती) भोपाल, दिनांक 09/10/2026 अनुसार "विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान" के संचालन 09 अक्टूबर 2026 से 31/12/2026 निर्धारित की गयी है।

प्रकरण में शासन आदेशानुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद वाली प्रतिबंधित तृतीय श्रेणी चौकीदार व मृत्यु पश्चात श्रेणी के पदों की पूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नगर पालिक निगम, रतलाम द्वारा की जाना है एवं शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार "भर्ती प्रक्रिया का अनुपालन करते" हुए दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित भर्ती की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति भर्ती की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 28/11/2026 को कार्यालयीन समय सायकाल 05.00 तक आवेदन–पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन–पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में एवं एवं विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/ कार्यालय जवाबदारी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता अनुसार निर्धारित विधि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार विकलांग				निर्धारित योग्यता	शेष भर्ती प्रक्रिया अनुसार की जायेगी।
				दृष्टी बाधित और कम दृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ ठीक चुका, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
01.	चौकी (प्रतिबंधित)	तृतीय	19500–62000 एल–4	0	0	1	0	कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण तथा चालक अनुज्ञा सहित वर्तमान में प्रतिबंधित अथवा 05 वर्ष का अनुभव	
02.	भृत्य	चतुर्थ	15500–49000 एल–1	1	0	0	0	कक्षा 10 उत्तीर्ण	—
03.	चौकीदार	चतुर्थ	15500–49000 एल–1	0	1	0	0	कक्षा 10 उत्तीर्ण	—

सूचना शर्तें:–
01– आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
02– समस्त प्रमाण–पत्रों की सत्यप्रति आवेदक स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
03– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग–अनु.जा./अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, राजकीय/निगम/मण्डल/ स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/होमगार्ड/बहिनाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
04– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–6/2018/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
05– आवेदक को वॉक–इन–इन्टरव्यू के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
06– चिकित्सक का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सामान्य जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
07– डिजिटल जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
08– आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09– अधूरे, अस्पष्ट एवं अपरिपक्व आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10– भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11– यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे पात्र पदों के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
12– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
13– आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा संलग्न प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व में सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी दशा पर निरस्त किया जा सकता है।
14– आवेदक स्वच्छ पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2014 के अनुसार कम्प्यिर आवेदन न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आवेदन दिये जाने से विशेष निम्नी जानकारियाँ (आदेविक/आदेविक, महिला एवं बैंचर) महिलाओं एवं चतुर्थ श्रेणिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आवेदन का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16– ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं निर्देश प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को सूचीबद्ध किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो अपठनीय किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17– दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18– यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार का प्रशिक्षण 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही सर्वमान्य वहन करना पड़ेगा।
19– जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 का या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निर्दिष्ट नहीं होना यदि एक संतान से जीवित रहते आबादी प्रथम में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
20– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13 /2016 /3 /एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2016 के अनुसार पीसी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत पारिश्रमिक/वेतनमान के रूप में दी जावेगी।
21– दिव्यांगजनों हेतु निम्नांकित पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (अनुसंधान तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22– नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

आवेदन का प्रारूप

प्रति,
कार्यालय का नाम/पूरा पता/टेलिफोन नम्बर

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ का फोटो चस्पा करें

01– आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम _____
02– आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम _____
03– आवेदक/आवेदिका की माता का नाम _____
04– आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष_____ माह_____ दिन_____
05– दिनांक_____को आयु वर्ष_____माह_____दिन_____
06– आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)_____
07– चिकित्सक का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सामान्य जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नहीं) _____
08– दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत_____
09– आवेदक/आवेदिका की जाति_____
10– आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण–पत्र अनुसार विवाह की दिनांक_____
11– जीविका संस्थानों का विवरण_____
12– वर्तमान पता/पिन कोड _____
13– स्थाई पता/पिन कोड _____
14– पहचान का पता/पिन कोड_____
15– तेजगार कार्यालय का जीविका संवीक्षण कर्मचारी एवं तेजगार कार्यालय का नाम _____

16– संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण_____
17– शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18– अनुभव यदि होवो उसका विवरण_____
19– अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण_____
20– ईमेल आई.डी._____
21– मोबाईल नम्बर 1._____ 2._____

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

— घोषणा पत्र —

"मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।"

आवेदक के हस्ताक्षर